तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील
08/10/21.	पत्रावली आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 फॉलो–अप कैम्प ग्राम पंचायत शिवाड़ में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा में अपनी रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार पेश की है– 1. यह है कि मुताबिक जमांबदी खसरा नंबर 560, 560/618, 561, 562 रतनसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत हि0 1/2, राजू पुत्र हुसैना मुसलमान हि0 1/2 सा0देह खातेदार दर्ज है। शेष इन्द्राज बदस्तूर जमाबंदी। 2. यह है कि आवेदित खसरा नंबर 560 ग्राम शिवाड़ से बरोनी सड़क मार्ग से लगता हुआ है और वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। 3. यह है कि वादी द्वारा वादपत्र में खसरा नंबर 560, 559, 554 के बीच की मेड़ से 15 फिट रास्ता चाहा गया है, जिस कारण खसरा नंबर 559, 554 के खातेदारान को प्रतिवादी बनाया गया है। आवेदित भूमि पर पहुंच का वैकल्पिक रास्ता एमडीआर सड़क से खातेदारी भूमि लगी हुई होने के कारण उपलब्ध है। अतः प्रकरण खारिज योग्य है। मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया। आवेदित भूमि पर पहुंच का वैकल्पिक रास्ता एमडीआर सड़क से खातेदारी भूमि लगी हुई होने के कारण उपलब्ध है। अतः प्रकरण खारिज किया जाना उचित समझता हूं। अतः तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली खारिज की जाती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। शिविर प्रभारी एवं	